

संक्षिप्त समाचार

इजराइल में उलटफेर, रुझानों में नेतन्याहू गठबंधन आगे

ओपिनियन पोल में हार का अनुमान था,ट्रम्प बोले- मेरे समर्थन से माहौल बदला

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक 76.8व वोटों की गिनती में नेतन्याहू गठबंधन 54 सीटों के साथ आगे है। वहीं, गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। अरब पार्टियों के जॉइंट लिस्ट और राअम पार्टी को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इजराइली संसद में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार का अनुमान जताया गया था। चुनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने नेतन्याहू को मिली बढ़त का श्रेय लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उनके समर्थन के बाद चुनाव का माहौल बदल गया। ट्रम्प के मुताबिक, पहले नेतन्याहू की हार का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब मुकाबला बराबरी का हो गया है और वे जीत भी सकते हैं। जॉइंट लिस्ट गठबंधन के अध्यक्ष यूसुफ जबरीन ने कहा है कि उनका गठबंधन सत्ता में बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार को हटाने की कोशिश करने वाली किसी भी पार्टी को उनसे बात करनी होगी। जबरीन ने कहा कि इजराइल के सामने दो रास्ते हैं- यहूदी वर्चस्व को जारी रखना या यहूदियों और अरब नागरिकों के बीच सहयोग कायम करना। अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों- जॉइंट लिस्ट और राअम को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इन्हें जॉइंट लिस्ट को 13 और राअम को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं।

लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरे

भाजपा नेता

पटना में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला मोर्चा

पटना (एजेंसी)। पटना में भाजपा की ओर से बुधवार को ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। पदयात्रा शुरू होने से पहले वह मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम



के लिए गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। पदयात्रा कारगिल चौक से शुरू होकर मौर्या होटल के पास स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तक जाएगी। भाजपा ने इस आयोजन के जरिए लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर जनता के बीच अपना पक्ष रखने की तैयारी की है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की ओर से देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई है।

आतंकी साजिश थी यहूदी प्रार्थनास्थल के पास आगजनी

● केरलम का मामला,हैडलर के इशारे पर लगाई गई थी आग ● हैडलर को बड़े टारगेट के लिए खुद को साबित करना था

कोच्चि (एजेंसी)। केरलम के कोच्चि में ऐतिहासिक यहूदी सिनागॉग (प्रार्थनास्थल) के सामने 12 अक्टूबर को हुई आगजनी को पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा बताया है। पुलिस के मुताबिक, 32 साल के आरोपी एबिन पॉल ने यह आग लगाई थी। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार ने कहा कि 12 अक्टूबर की सुबह किया गया हमला एक टेस्ट केस था। आरोपी को पहले कोच्चि में खुद को साबित करने के लिए कहा गया था। इसी के चलते पॉल ने पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद अपने मोबाइल पर घटना का वीडियो भी बनाया था।

परिवार ने कहा- डिप्रेशन का मरीज है पॉल

पॉल एर्नाकुलम जिले में कोलेनचेरी के पास पुथेनक्कुज के पास वदयाम्पडी का रहने वाला है। वह एक डिजाइन ग्रेजुएट है। पॉल के परिवार ने मुताबिक, वह डिप्रेशन का इलाज करा रहा था और घर से डिजाइन का काम भी करता था। पॉल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से फोरेंसिक रिजल्ट्स निकाले हैं, जिससे बेन आतंकवादी संगठन के हैडलर के बारे में और डिटल्स पता चली हैं। कमिश्नर ने कहा- फिलहाल हम और जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बड़े आतंकी साजिश से जुड़ी जानकारीयों की जांच की जा रही है।

बैलेट पेपर से हुए चुनाव, कांग्रेस कितनी सीटें जीती!

● एमएलसी चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज

बीजेपी काशी हारी,यूपी की 5 सीटें जीती- चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों के नतीजों में बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां भाजपा के पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव समेत चार सिटिंग

एमएलसी चुनाव हार गए। जन सुराज ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में खाता खोला। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया, जबकि वाराणसी शिक्षक सीट सपा के खाते में गई।

नसीरुद्दीन ने मोदी सरकार को बताया ‘नाजायज हुकूमत’

● वीडियो में कहा- हूं मैं दिमागी नक्सल, टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर से छात्रों के लिए आवाज उठाई है और सरकार से सवाल किया है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल से एक आंदोलन शुरू किया, जो अब फैलता जा रहा है। एक्टर ने इससे पहले, कोलकाता के छात्रों के लिए भी आवाज उठाई थी। अब, वो फिर से बोल पड़े हैं। नसीरुद्दीन शाह ने सरकार से कहा कि वो खुद को दिमागी नक्सल मानते हैं, तो क्या। वो कहते हैं, मैं फख्र के साथ कहता हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं।

नसीरुद्दीन शाह छात्रों के लिए खड़े

उन्होंने आगे कहा, टुकड़े-टुकड़े गैंग अगर इस मुल्क में कोई है, तो वो ये नाजायज हुकूमत है और मैं इस हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। और क्या-क्या करोगे तुम। हमारे मुल्क के नीजवानों की हिम्मत को तोड़ने के लिए शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने के लिए और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए, कितना करोगे। तुम और तुमने अपने इर्द-गिर्द जो बेवकूफ, बेईमानों की पलटन इकट्ठी की है, कहा तक जाओगे। उन्होंने आगे कहा, पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट और अब जागिया मिलिया...क्या-क्या करोगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का दीवाली गिफ्ट

डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की ओर से दीवाली से पहले ही बड़ा गिफ्ट मिल गया है। देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी के साथ अब यह 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन

6वें और 5वें वेतन आयोग वालों को भी राहत

सरकार ने 6वें और 5वें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। महंगाई भत्ते के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। कटेनर मैयूफेक्चरिंग योजना- इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले को अपनाया है। इस बढ़ोतरी पर करीब 10,016 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डीए और डीआर की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर का भुगतान मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 18,000 रुपये है तो उसे 60 फीसदी के हिसाब से 10,800 रुपये महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा था।

को-पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था

30 सितंबर को फ्लाईडुबई की फ्लाइट नं॰1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान विमान के को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन मच्छर पर हमला कर दिया। हमले में कैप्टन घायल हो गए। उन्होंने बताया था कि को-पायलट ने सिर पर कई वार किए। को-पायलट ने विमान को गिराने की कोशिश में कैप्टन पर कॉकपिट में ही मौजूद इमरजेंसी कुल्हाड़ी से हमला किया था। इस दौरान मच्छर ने विमान से हार्डजैक का संकेत भी भेजा था।

राष्ट्रपति ने गले लगाया,दुबई प्रिंस ने की तारीफ कहा-वे हमारी पहचान हैं, प्लेन क्रैश रोका था

अबू धाबी (एजेंसी)। यूएई ने फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को ‘जायद II- फर्स्ट क्लास’ से सम्मानित किया। इस दौरान UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मच्छर को गले लगाया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने स्मित को अपने देश की पहचान बताया। जायद-II, UAE के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। फ्लाईदुबई फ्लाइट के पायलट मच्छर ने 30 सितंबर को प्लेन क्रैश कराने की कोशिश नाकाम कर दी थी। यह प्लेन दुबई से तेल अवीव जा रही था। इस दौरान को-पायलट ने उन पर हमला कर दिया था। राष्ट्रपति बिन जायद ने फ्लाइट के करू के सदस्यों को भी सम्मानित किया। इस दौरान UAE के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक

शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भी मौजूद थे। UAE के नेताओं ने कैप्टन मच्छर और करू के सदस्यों की हिम्मत और जिम्मेदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी क्रू ने यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कैप्टन स्मित मच्छर ने हिम्मत, जिम्मेदारी और इंसानी जान की परवाह करने की मिसाल पेश की। हमें गर्व है कि वे हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं और, श्रु की पहचान का हिस्सा हैं। कैप्टन मच्छर जब चोटों का इलाज करा रहे थे, तब दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कैप्टन की हिम्मत और लोगों की जान बचाने के प्रयासों की तारीफ की थी।

भारत और अमेरिका के बीच बड़ा रक्षा समझौता

● राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की बातचीत

मनीला (एजेंसी)। अमेरिका और भारत के बीच 10 वर्षों के लिए जो डिफेंस प्लान पिछले साल तैयार किया गया था उसकी समीक्षा की गई है। फिलीपींस के मनीला में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेमसेथ के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच 10 सालों के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क में आए डेवलपमेंट की समीक्षा की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य तकनीक और हथियारों के संयुक्त उत्पादन को लेकर बात की गई है। फिलीपींस के सेबू में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और नये क्षेत्रीय सुरक्षा

चुनौतियों को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल दोनों देशों के बीच इस डिफेंस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए गये थे। इसका मकसद दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप पर पिछले साल 31 अक्टूबर को राजनाथ सिंह व हेमसेथ ने दस्तखत किए थे।

कर्नाटक- कांग्रेस हारी विपक्ष ने चारों सीटें जीतीं

कर्नाटक में एमएलसी की चार सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस ने कांग्रेस से एक सीट छीन ली, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने अपनी तीनों सीटें बरकरार रखीं। बेंगलुरु शिक्षक सीट पर भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे जेडीएस उम्मीदवार एपी रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को 908 वोटों से हराया। पुट्टन्ना को 9,902 वोट मिले, जबकि रंगनाथ को 10,810 वोट मिले। उत्तर-पूर्व शिक्षक सीट पर भाजपा के मौजूदा एमएलसी शशिल जी. नामोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मतूर को हराया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नामोशी ने इस सीट पर लगातार पांचवीं बार जीत दर्ज की है। नामोशी को 15,596 वोट मिले, जबकि मतूर को 12,299 वोट मिले।

भोपाल में 700 केजी एनालॉग पनीर जब्त

मुरैना से आ रहा था, ट्रेन से उतारते ही दबोचा

भोपाल। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर से 7 किंटल एनालॉग पनीर जब्त किया गया। यह ट्रेन के जरिए मुरैना से यहां लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार रात 2 बजे यह कार्रवाई की। 700 किलो से अधिक एनालॉग पनीर की कीमत 2.5 लाख रुपए है। विभागीय अधिकारियों ने बिल्टी और बिल के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर दी है। बुधवार सुबह तक कार्रवाई

जारी है। मग्न में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद यह पहली कार्रवाई है। जांच कर रही टीम अफसरों की टीम यह पता लगा रही है कि पनीर की सप्लाई कहाँ होने वाली थी? किस होटल, रेस्टोरेंट या डेवरी पर यह पनीर जाने वाला था। इसके बाद संबंधित के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे एमपी में प्रतिबंधित है एनालॉग पनीर करीब तीन महीने पहले सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया था। बता दें कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत तेजी से बढ़ी है।

मानवाधिकार आयोग ने जताई थी नाराजगी

एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर तीन महीने पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने भी नाराजगी जताई थी। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखने का फैसला किया था। इसी बीच सरकार ने पूरे प्रदेश में इस तरह के पनीर पर रोक लगा दी थी। बावजूद भोपाल में 7 किंटल एनालॉग पनीर खपाने का मामला सामने आया है।

‘डॉग फेस्ट’ में 200 से अधिक पेट्स आए



इंदौर। ‘डॉग फेस्ट इंडिया : इंदौर एडिशन’ का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 200 पेट्स और 800 से अधिक पेट लवर्स एवं शहरवासियों ने भाग लिया। 30 से अधिक डॉग ब्रीड्स की मौजूदगी, आकर्षक प्रतियोगिताओं और पेट इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न ब्रांड की गतिविधियों ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बेस्ट ऑफ ब्रीड, बेस्ट डॉग इन शो और बेस्ट पपी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में विभिन्न नस्लों के डॉग ने हिस्सा लिया और विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शो में प्रोफेशनल प्रोटेक्शन डॉग एवं डॉग एजिलिटी डेमोंस्ट्रेशन विशेष आकर्षण रहे। पेट फैशन शो, पेट प्ले जोन, फोटो बुथ और विभिन्न पेट ब्रांड के स्टॉल्स ने आयोजन को और भी मनोरंजक बनाया। कार्यक्रम में इंदौर के युवाओं, परिवारों और पेट लवर्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पेट्स के लिए विशेष सुविधाओं, स्वास्थ्य जांच, विभिन्न गतिविधियों और बेहतर आयोजन व्यवस्थाओं के चलते डॉग फेस्ट इंडिया शहर के सबसे पसंदीदा पेट आयोजनों में से एक बनकर उभरा।

मास्टर प्लान सड़क के लिए जमीन मुक्त

इंदौर। मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित आरडब्ल्यू-2 सड़क निर्माण की राह में आ रहे अतिक्रमणों पर प्रशासन ने कार्रवाई



की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में इंदौर विकास प्राधिकरण ने गांधीनगर चौराहे से दिलीप नगर तिराहे तक अतिक्रमण हटाकर करीब 20 हजार वर्गफीट भूमि मुक्त कराई। कार्रवाई के दौरान सड़क मार्ग में बने 6 ढाबे और 4 गुमटियों सहित कुल 10 संरचनाएं हटाई गईं। यहां 75 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य सड़क निर्माण का रास्ता साफ करना और मास्टर प्लान के अनुरूप प्रस्तावित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करना है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही। तीनों विभागों ने आपसी समन्वय से कार्रवाई को अंजाम दिया। भूमि मुक्त होने से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

इंदौर में न्यूनतम पारा 16.5 डिग्री पर

इंदौर। मौसम में ठंडक की आहट के बावजूद शहरवासियों को दिन में गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। सुबह जल्दी और देर रात हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में पंखे और कूलर की जरूरत बनी हुई है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में करीब डेढ़ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार सुबह शहर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान हवा की गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। दृश्यता सामान्य बनी हुई है। फिलहाल सुबह-रात की ठंडक और दिन की गर्मी के कारण मौसम का मिला-जुला मिजाज बना हुआ है।

बुलेट सवार ने स्कूटी से दंपती को गिराया

इंदौर। तिलक नगर थाना क्षेत्र में बुलेट सवार युवक पर दंपती का पीछा कर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, स्नेहलतागंज निवासी मयंक जैन पत्नी जुली के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी अंकित जैन ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। आरोप है कि उसने पहले मयंक और फिर उनकी पत्नी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। दंपती के नारायणी अस्पताल के सामने पहुंचने पर आरोपी ने पीछा कर स्कूटी में लात मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। इसके बाद आरोपी ने महिला का गला दबाया और मारपीट की। राहगीरों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ब्राउन शुगर लाकर इंदौर में बेचता रहा

इंदौर। शहर में नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एरोइड पुलिस ने स्क्रीम-155 के पास एक खेत से धर्मंद जाधव को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी कीमत 1.28 लाख रुपए बताई गई है। थाना प्रभारी मनोज सेंधव के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध स्थानों पर जांच कर रही थी। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी धर्मंद पिता ओमप्रकाश जाधव, निवासी नंदबाग, को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, वह आगरा-मालवा से ब्राउन शुगर लाकर इंदौर के विभिन्न इलाकों में बेचता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी, मारपीट, डकैती की योजना और मादक पदार्थों से जुड़े मामले भी दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चाकू लेकर घूम रहा बदमाश गिरफ्तार

इंदौर। शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छत्रीपुरा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 34.5 इंच लंबा लोहे का दोमुंहा खटकेदार और नुकीला डिजाइनर चाकू बरामद हुआ। थाना प्रभारी द्वारा गठित विशेष दल को सूचना मिली थी कि एमओजी लाइन स्थित चिंतामन हनुमान मंदिर के पास एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर निखिल उर्फ प्रिंस, निवासी भीम नगर, को पकड़ा। तलाशी में उसकी जींस की जेब से चाकू मिला। पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एएसआई दीपेश गोराना, प्रधान आरक्षक धर्मेन्द्र पाठक और आरक्षक अरुण सिंह चौहान सहित पुलिसकर्मियों की भूमिका रही।

2 लाख रुपए के अवैध पटाखे जप्त

इंदौर। दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एरोइड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 60 फीट रोड स्थित राधिका आइसक्रीम पार्लर की तलाशी में करीब 2 लाख रुपए कीमत के पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने दुकान संचालक सागर नवीन (38), निवासी पल्हर नगर को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी मनोज सेंधव के अनुसार, पुलिस टीम पटाखा लाइसेंसधारियों के सत्यापन और गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से पार्लर में अवैध पटाखे रखे होने की सूचना मिली। तलाशी में 50 सफेद बोरियां मिलीं। प्रत्येक बोरी में 48 डिब्बे और हर डिब्बे में माचिस बम की 10 डिब्बियां रखी थीं।

भूजल में गिरावट, इंदौर जिले में निजी बोरिंग पर रोक, मशीनें जब्त होंगी, जेल व जुर्माना

इंदौर। कम बारिश और भूजल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी व अशासकीय नलकूपों की खुदाई पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रतिबंध तोड़कर बोरिंग करने या इसकी कोशिश करने पर मशीनें जब्त की जा सकेंगी और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2026 में जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है। वहीं, भूजल के अत्यधिक दोहन से पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। नए निजी बोरवेल की खुदाई जारी रहने पर आने वाले दिनों में पेयजल संकट गहरा सकता है। लोक स्वास्थ्य

कम बारिश के कारण से कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया



यांत्रिकी विभाग के शहरी और ग्रामीण अधिकारियों की अनुशंसा पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 और संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत यह प्रतिबंध लगाया है।

अवैध बोरिंग पर जेल, जुर्माना

आदेश के पालन के लिए राजस्व, पुलिस और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली या नलकूप खनन की कोशिश करने वाली मशीन जब्त की जा सकेगी। नियम तोड़ने पर अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत 2,000 रुपये तक का जुर्माना, 2 साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

विशेष अनुमति से ही बोरिंग– अपात और अपरिहार्य परिस्थितियों में संबंधित अपर कलेक्टर निर्धारित शर्तों के साथ नई बोरिंग की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के लोक स्वास्थ्य

जिला जेल का प्रहरी ही तस्करी में धराया, कैदियों को नशा सप्लाई

अंडर गार्मेट और जूतों में चरस और बीड़ी-तंबाकू छुपाई

इंदौर। केंद्रीय व जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां जेल की सुरक्षा में तैनात एक प्रहरी ही कैदियों तक नशा पहुंचाने के अवैध कारोबार में शामिल पाया गया। मुख्य द्वार पर हुई सख्ती से जांच के दौरान जब प्रहरी की तलाशी ली गई, तो उसके कपड़ों और जूतों के भीतर से चरस, बीड़ी और तंबाकू के पैकेट बरामद किए गए। इस शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपी प्रहरी को तत्काल प्रभाव से जेल ड्यूटी से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात जेल परिसर में उप जेलर राकेश उपाध्याय, चंद्रिका पटेल, नानुराम सोनी और विजय आर्य अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। रात के करीब 2 बजे जेल प्रहरी देवेंद्र चौहान अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंचा। मुख्य गेट पर तैनात अन्य सतर्क प्रहरियों ने जब नियमानुसार उसकी तलाशी ली, तो उसकी पोल खुल गई। देवेंद्र ने अपने अंडरगार्मेट्स, आंतरिक कपड़ों और जूतों के अंदर शक्तिर तरीके से चरस, बीड़ी और तंबाकू के पैकेट छिपा रखे थे।

कैमरों की निगरानी में जब्ती – पूरी तलाशी और माल जब्ती की यह कार्रवाई जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। हालांकि



पहले भी हुई ऐसी घटनाएं

जेल के भीतर सुरक्षा में सेंध लगने का यह कोई पहला वाक्या नहीं है। इससे पहले भी खजराना क्षेत्र के प्रसिद्ध बिल्डर मनोज नागर पर हमला करने वाले आरोपी सोनू खरगोश पर जेल के अंदर ही चाइनीज चाकू से जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके बाद उसे तुरंत सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना पड़ा था। अब एक जेल प्रहरी के खुद ही प्रतिबंधित नशीले पदार्थ और अवैध सामग्री अंदर ले जाने की इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

इस मामले पर जेल अधीक्षक जवाहर मंडलौई ने केवल बीड़ी और तंबाकू मिलने की बात स्वीकार की है और चरस मिलने से इनकार किया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि बरामद सामान में चरस भी शामिल थी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी प्रहरी देवेंद्र चौहान ने कबूल किया है कि वह यह चरस की खेप द्वाराकापुरी इलाके के रहने वाले एक

नशा तस्कर शुभम नेपाली तक पहुंचाने वाला था, जो फिलहाल इसी जिला जेल में बंद है। इसके अलावा जेल की दूसरी बैरकों में बंद अन्य कैदियों तक भी बीड़ी और तंबाकू सप्लाई करने की उसकी योजना थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए प्रहरी को भारी-भरकम रकम मिलने वाली थी।

दीपावली की खरीदारी के बीच निगम की चेतावनी, बाहर रखा सामान जब्त

मुनादी कर व्यापारियों को चेतावनी, सामान समेटने में लगे दुकानदार

इंदौर। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को निगम की टीम ने अलग-अलग बाजारों में वाहन से मुनादी कर दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे अपना सामान दुकान के भीतर ही रखें। सड़क या फुटपाथ पर सामान फैलाने वालों का माल जब्त किया जा सकता है। त्योहारी सीजन में कपड़े, सजावटी सामान, बर्तन और पूजा सामग्री खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई दुकानदार बिज्जी बढ़ाने के लिए सामान दुकान के बाहर तक सजा रहे हैं। इससे सड़क पर वाहनों के निकलने की जगह कम हो रही है और पैदल

चलने वालों को भी परेशानी हो रही है।

चेतावनी से दुकानदारों में हलचल– नगर निगम की मुनादी के बाद कई व्यापारियों ने दुकानों के बाहर रखा सामान समेटकर भीतर रख लिया। दुकानदारों को आशंका है कि कार्रवाई के दौरान माल जब्त होने पर उसे वापस लेने में परेशानी हो सकती है। इसी कारण कई व्यापारियों ने पहले ही सामान हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम की मुनादी को इसी व्यवस्था को बनाए रखने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। चेतावनी के बाद भी यदि दुकानदार सड़क या फुटपाथ पर सामान रखकर अतिक्रमण करते हैं, तो उनका माल जब्त किया जा सकता है।

ट्रेन से उतरते समय पैर फिसलने से सिक्क्योरिटी गार्ड की मौत हुई

बेटी की शादी होने के दो महीने पहले परिवार पर आघात



दल तुरंत हरकत में आया और मौके पर जा पहुंचा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को रेलवे पटरियों से सुरक्षित बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस देर रात ही शोक में डूबे परिवजनों को इस अनहोनी की जानकारी दी। इस मामले की तह तक जाने के लिए

पुलिस स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी बारीकी से खंगाल रही है।

दो महीने बाद बेटी का विवाह

इस दुखद दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवारजन तुरंत महु से इंदौर के अस्पताल पहुंचे। परिवजनों ने बेहद रोते-बिलखते हुए बताया कि मोहम्मद इजराइल के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनकी लाइली बेटी का विवाह पुणे में निश्चित हुआ था। घर में केवल दो महीने बाद ही बेटी की शादी होनी थी, जिसके लिए परिवार के सभी सदस्य महीनों से जोरों-शोरों से तैयारियां करने में जुटे हुए थे। शादी की खुशियों के बीच अचानक आए इस वजपात ने पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है और आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है।

साइबर ठगी के संदेह में 11 आरोपी घरे में, खातों से 1 करोड़ के लेनदेन

विजय नगर पुलिस की कार्रवाई, छह बैंक खातों की पड़ताल



के अनुपात में हिस्सा दिए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस इन सभी तथ्यों की जांच कर रही है।

विजय नगर थाने में अपराध क्रमांक 1013/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4)

और 3(5) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस बैंक खातों के वास्तविक धारकों, रकम के स्रोत और राशि आगे किन खातों में भेजी गई, इसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल एक करोड़ रुपए का आंकड़ा प्रारंभिक जांच में सामने आ चुका है। कथित ठगी की वास्तविक राशि और प्रभावित लोगों की पहचान जांच के बाद स्पष्ट होगी।

कमीशन के लालच में खाता

पुलिस ने चेतावनी दी है कि कमीशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराने या संदिग्ध रकम आगे भेजने वालों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि वे अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, एक बार इस्तेमाल होने वाला गुप्त अंक (ओटीपी) या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न दें। संदिग्ध लेनदेन की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जांच के दायरे में आए नाम हैं दिलीप पांडे, सुभम शर्मा, एहमद राजा शेख, भरत भूषण कुशवाह, नरेश यादव, विजेन्द्र सिंह, अमित मणी, रमनदीप सिंह भाटिया, नरेन्द्र पाटीदार, अमित चौरसिया और योगेश पटेल।

संपादकीय

अब चीतों का भी अवैध शिकार

अब मध्यप्रदेश में बाघों के बाद चीते भी अवैध शिकारियों के निशाने पर आ गए हैं। यह अपने आप में बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। क्योंकि जहां सरकार देश में चीतों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं उनके गैरकानूनी शिकार की कोशिशें भी बख़ीफ बढ़ रही हैं। ताजा घटनाक्रम मप्र के शिवपुरी जिले के कूनों अभयारण्य का है, जहां विदेश से भारत लाए गए चीतों में से एक मादा चीता निर्वा की 19 छर्छे लगने से मौत हो गई। यह गोलियां किसने चलाई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चीते के पोस्टमार्टम में 5 छर्छे मिले हैं। पूरे मामले की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम भेजी है। इस टीम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के वन महानिरीक्षक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक और ब्यूरो के क्षेत्रीय उपनिदेशक शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी वन और पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीम अपनी जांच और सिफारिशें मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए आगे के निर्देश तय किए जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि ये चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना के तहत भारत लाए गए थे। ताजा घटना ऐसे समय हुई है, जब भारत में चीतों को फिर से बसाने की परियोजना के तहत उनकी संख्या बढ़ाने के साथ उनके संरक्षण और निगरानी पर साल 2022 से पहल शुरू की गई। इस घटना के बारे में मप्र की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वाईन डॉ. समिता राजौरा का कहना है कि केएनजी22 को 25 अक्टूबर को श्योपुर टैरिगेरियल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 748 के इलाके में घायल हालत में पाया गया था। हमने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। शुरूआती एक्स-रे में चीते के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कई फ्रैचर ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए थे। इसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। चीते के शरीर से पांच फायरआर्म पैलेट यानी बंदूक के छर्छे निकाले गए। उन्होंने कहा कि इस घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी यह यह जांच का विषय है कि इस चीते का शिकार हुआ है या किसी ग्रामीण ने अपने पशुओं के बचाव में यह सब किया। राजौरा के मुताबिक हर चीते के पीछे एक मॉनिटरिंग टीम है जो लगातार रेंडियो कॉलर के सिग्नल के साथ चीते पर नजर बनाए रखती है। जांच दल इस बात की भी जांच करेगा कि मॉनिटरिंग टीम को गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी और रेंडियो कॉलर के सिग्नल को ट्रैक करने में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। वैसे भी मप्र का कूनों, श्योपुर और पुरैना के आसपास के जंगल पहले की तेंदुओं के कथित शिकार से जुड़ी जांच के केंद्र में रहे हैं। इस साल की शुरुआत में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इलाके में तेंदुओं की हत्या और उनके अंगों की तस्करी से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच की गई थी। इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। वन विभाग के मुताबिक, केएनजी22 की मौत के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 58 रह गई है। इनमें 52 कूनों नेशनल पार्क, चार गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और दो वीरगंगा दुर्गावर्ति टाइगर रिजर्व में हैं। बहरहाल मादा चीते की हत्या के पीछेकारण भी हो, इसके लिए दोषी व्यक्ति को सख्त सजा दी जानी चाहिए। वरना अवैध शिकारियों के लिए मप्र बाघों की तरह चीतो का भी ‘अभयारण्य’ बन जाएगा।

नजरिया

अमित बैजनाथ गर्ग

वरिष्ठ पत्रकार



हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के तहत मिलने वाली सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति दूसरे धर्म में जाने पर हस्तांतरित नहीं होती है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश को गलत ठहराया, जिसमें इस्लाम अपनाने वाले कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि एससी का दर्जा केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत होता है, जिसे सिर्फ सरकार के आदेश से बदला या पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 73 प्रतिशत आरक्षण वाले फैसले को भी असंवैधानिक करार दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य में 73 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग और व्यवस्था को खारिज कर दिया। सरकार ने सीधी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, जिससे कुल आरक्षण 73 प्रतिशत (एसटी 20 फीसदी, एससी 16 फीसदी, ओबीसी 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस 10 फीसदी) हो गया था। कोर्ट के अनुसार, आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां या पर्याप्त प्रमाणित आंकड़े नहीं पाए गए। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लंबित 13 फीसदी पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इन दो फैसलों के बाद एक बार फिर आरक्षण पर बहस छिड़ गई है। देश में आरक्षण पर बहस मुख्य रूप

आरक्षण पर कोर्ट के फैसलों के मायने

से सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक भेदभाव और योग्यता के इर्द-गिर्द घूमती है। इस विषय पर समाज में दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला आरक्षण के पक्ष में तर्क है, जिसे सामाजिक न्याय का पक्ष कहकर प्रचारित किया जाता है। इसके समर्थकों का मानना है कि सदियों से जाति-व्यवस्था के कारण दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक शोषण हुआ है। उनका मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य राजनीति, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इन वर्चित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना



है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के समर्थक इसे लगातार जारी रखने की बात कहते हैं। दूसरा पक्ष आरक्षण के विरोध या समीक्षा के तर्क देने वालों का है। उनका कहना है कि आरक्षण का आधार योग्यता और कमजोर आर्थिक पक्ष होना चाहिए। यह किसी भी जाति का हो सकता है। विरोधियों का तर्क है कि चयन का आधार केवल योग्यता होना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण से योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलने में कठिनाई होती है। एक बड़ा वर्ग यह मांग करता है कि आरक्षण जाति आधारित न होकर आर्थिक स्थिति (गरीबी) पर आधारित होना चाहिए, जिससे अमीर आरक्षित वर्ग के बजाय वास्तव में जरूरतमंद गरीबों को लाभ मिल सके। यह सवाल भी उठया जाता है कि जो परिवार पहले से ही आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ बार-

बार क्यों मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को आरक्षण स्वतः ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन कड़वा सच यह है कि कोई छोड़ता नहीं है।

अब बात करते हैं आरक्षण की सबसे पहले मांग की। आजादी से पहले 1882 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष पहली बार सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आनुपातिक आरक्षण की मांग रखी थी। वहीं 1902 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर रियासत में पिछड़े और गैर-ब्राह्मण वर्गों के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी। इंदिरा गांधी और उनके बाद राजीव गांधी की सरकार ने मंडल आयोग की इन सिफारिशों को लागू नहीं किया था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। इसके बाद 2019 में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया।

असल में आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों और विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के स्तर पर ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 15 फीसदी, एसटी को 7.5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न संशोधनों और प्रावधानों के अनुसार कुल केंद्रीय आरक्षण 59.50 प्रतिशत है। वहीं ओबीसी और कुछ श्रेणियों में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को इस दायरे से बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर का नियम लागू है, जिसकी वर्तमान में सीमा आठ लाख रुपए वार्षिक आय है। वहीं इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की थी। हालांकि केंद्र सहित तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने 69 प्रतिशत तक आरक्षण देकर विशेष कानूनों के तहत इस सीमा को पार किया है।

असल में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य न्यायालयों की टिप्पणियां गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इससे पता चलता है कि आरक्षण की वजह से कितनी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो आरक्षण अपने उद्देश्य में असफल रहा है। असल में अब आरक्षण की समीक्षा नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना जरूरी है। न यह जाति के आधार पर हो और ना ही आर्थिक आधार पर। किसी भी तरह के आरक्षण की अब कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह हर जाति और वर्ग के गरीब छात्रों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाया जाए। आरक्षण से बनने वाले नेता और कर्मचारियों को देश देख ही रहा है। दुनिया में कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था को क्यों लागू किया गया है? देश को कमजोर होने से बचाने के लिए आरक्षण को पूरी तरह हटाना जरूरी है। देश पहले है, जातियां और बाकी सब कुछ उसके बाद।

युवा सक्रियता एवं राजनीतिक विशेषणों में उलझा लोकतांत्रिक संवाद

मुद्दा

डॉ. पी. के. बाजपेयी

लेखक समाज वैज्ञानिक हैं।



शब्द केवल शब्द नहीं होते। वे अपने साथ अर्थ, इतिहास और कभी-कभी राजनीतिक संकेत भी लेकर चलते हैं। ‘नक्सल’, ‘अर्बन नक्सल’ और अब ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। इनके इस्तेमाल ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल यह है कि ‘दिमागी नक्सल’ किसी गंभीर सामाजिक-वैचारिक समस्या की ओर संकेत करता है या राजनीतिक विमर्श में असहमति रखने वालों को कठघरे में खड़ा करने का नया मुखवारा बन गया है?

आज इस बहस को समझने के लिए देश के विश्वविद्यालयों, नागरिक अधिकार आंदोलनों और युवाओं के बीच उठ रहे सवालों को भी देखना होगा। काक्रोच जनता पार्टी, आरक्षण हटाओ आन्दोलन और यूजीसी रोलबैक जैसे विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखाया है कि नई पीढ़ी केवल सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वाली पीढ़ी नहीं है; वह नीतियों, संस्थानों और अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरने का साहस भी रखती है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के व्याख्यानों ने इस बहस को तेज किया है।

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में बार-बार युवाओं, लोकतंत्र, विकसित भारत और नागरिक भागीदारी की बात करते हैं लेकिन जब युवा सवाल पूछते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं तो ऐसे युवाओं को राष्ट्र-विरोधी, अराजक या ‘दिमागी नक्सल’ कहकर खारिज कर दिया जाता है।

क्या असहमति अपराध है?

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण असहमति को स्थान देना है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। किसी नीति पर सवाल उठाना राष्ट्र-विरोध नहीं है। किसी कानून के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करना, विस्थापितों अथवा आदिवासियों के अधिकारों की बात करना, पर्यावरण की रक्षा की मांग करना या मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रश्न उठाना अपने आप में नक्सली मानसिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। काक्रोच जनता पार्टी, आरक्षण हटाओ आन्दोलन और यूजीसी रोलबैक से जुड़े विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के सवालों और तौर तरीकों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है लेकिन उन्हें दिमागी नक्सल करार देना लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करता है। किसी आंदोलन की आलोचना उसके तथ्यों, मांगों और तरीकों के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसके प्रतिभागियों पर राजनीतिक लेबल लगाकर। भारत का संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र इसलिए लोकतंत्र है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों का एक ही विचार होना आवश्यक नहीं है। यदि ‘दिमागी नक्सल’ शब्द हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगे जो सरकार से असहमत है, विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछता है, किसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करता है या संस्थागत निर्णयों की समीक्षा की मांग करता है, तो यह शब्द समस्या को समझने के बजाय बहस को समाप्त करने का माध्यम बन जाएगा।

राजनीति में लेबल का आकर्षण

राजनीति में लेबल लगाना आसान होता है। इससे जटिल प्रश्नों को घुमाना आसान हो जाता है। किसी

व्यक्ति को ‘राष्ट्रवादी’ या ‘राष्ट्र-विरोधी’, ‘देशभक्त’ या ‘देशद्रोही’, ‘नक्सल’ या ‘गैर-नक्सल’ के खानों में रख देना बहस को आसान बना देता है।

एक व्यक्ति किसी सरकारी नीति का विरोध कर सकता है और फिर भी देश के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो सकता है। कोई छात्र किसी विश्वविद्यालयी निर्णय की आलोचना कर सकता है और संविधान में गहरी आस्था रख सकता है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी



अधिकारों के लिए आवाज उठा सकता है और नक्सलवाद का उतना ही विरोधी हो सकता है।

काक्रोच जनता पार्टी और आरक्षण हटाओ आन्दोलन जैसे विरोध प्रदर्शनों को भी इसी व्यापक लोकतांत्रिक संदर्भ में समझना चाहिए। इन संगठनों की मांगों, भाषा और तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें सीधे ‘दिमागी नक्सल’ कह देना न तो विश्लेषण है और न ही समाधान। इसी तरह यूजीसी रोलबैक के विरोध में उठे सवाल केवल किसी एक अधिसूचना या प्रशासनिक निर्णय तक सीमित नहीं हैं। वे शिक्षा की दिशा,

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, छात्रों की भागीदारी और नीति-निर्माण में पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तर्क और संवाद से दिया जाना चाहिए।

युवाओं का पुनरुत्थान

हाल के वर्षों में युवाओं की सार्वजनिक भूमिका फिर से उभरती दिखाई दे रही है। विश्वविद्यालय परिसरों, नागरिक मंचों और डिजिटल माध्यमों से निकलकर युवा अब नीतिगत बहसों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। वे रोजगार, शिक्षा, फीस, सामाजिक न्याय, संस्थागत स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं।

यह पुनरुत्थान केवल विरोध की राजनीति नहीं है। यह उस पीढ़ी की बेचैनी भी है जो अपने भाव्य को लेकर गंभीर है। वह पूछना चाहती है कि शिक्षा के बाद रोजगार कहीं है, संस्थानों में अवसर कितने समान हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और नागरिकों की आवाज कितनी सुनी जाती है। युवा अब केवल परीक्षा, नौकरी और निजी जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे इतिहास, समाज, संविधान और सार्वजनिक नीति पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि इस सक्रियता को ‘अराजकता’ या ‘दिमागी नक्सलवाद’ कहकर दबाया जाएगा, तो इससे समस्या समाप्त नहीं होगी; बल्कि युवाओं और संस्थानों के बीच अविश्वास बढ़ेगा।

एक बेरोजगार युवा के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे रोजगार मिलेगा या नहीं। एक छात्र के लिए यह

महत्वपूर्ण है कि उसकी फीस, छात्रवृत्ति और शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी। एक शोधार्थी के लिए संस्थागत स्वतंत्रता और निष्पक्ष अवसर महत्वपूर्ण हैं। एक आदिवासी परिवार के लिए जमीन, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री के संदेश और लोकतांत्रिक व्यवहार

स्वतंत्रता दिवस का अवसर केवल सरकारी उपलब्धियों का विवरण देने का अवसर नहीं होता। यह संविधान, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मूल भावना को याद करने का अवसर भी है। जब प्रधानमंत्री युवाओं से बड़े सपने देखने, नवाचार करने और राष्ट्र-निर्माण में भाग लेने का आह्वान करते हैं, तो उस आह्वान में सवाल पूछने की स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए। राष्ट्र-निर्माण केवल सरकारी योजनाओं का समर्थन करने से नहीं होता; वह नीतियों की समीक्षा, कमियों की पहचान और बेहतर विकल्प सुझाने से भी होता है।

शायद ‘दिमागी नक्सल’ की बहस हमें उन वास्तविक समस्याओं से दूर कर रही है जिनसे देश का सामान्य नागरिक रोज जुड़ा रहा है। बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता, किसानों की समस्याएँ, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ता नशा, मानसिक स्वास्थ्य, प्रदूषण और संस्थानों में घटना विश्वास आदि वे समस्याएँ हैं जो नागरिक के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

साथ ही हमें यह तय करना होगा कि लोकतंत्र में असहमति के लिए कितनी जगह बची रहेगी। मजबूत लोकतंत्र वह नहीं जिसमें सरकार से कोई सवाल न पूछे। मजबूत लोकतंत्र वह है जिसमें सरकार सवालों का जवाब देने में सक्षम हो और नागरिक सवाल पूछने में भयभीत न हों। यदि हमें सचमुच एक मजबूत, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत बनाना है, तो हमें सार्वजनिक विमर्श में असहमति को खारिज करने के बजाय पर्याप्त जगह और समुचित सम्मान देना होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्राघ पंकज प्रिंट्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्ट्रा इंडस्ट्रियल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बांबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिन

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मुकेश राठौर

लेखक व्यंग्यकार हैं।



पति द्वारा लंबी उमर करवाने के बदले अपनी सगी पत्नी को उपहार स्वरूप साड़ी दिलाने की परम्परा कब शुरू हुई ये तो पक्के से नहीं पता लेकिन इतना तो तय है जबसे करवा चौथ शुरू हुई साड़ी देने का रिवाज भी कदाचित उसी समय से शुरू हुआ होगा! साड़ी है गर सिक्के,मुर्ति या बर्तन होते तो पुरातत्ववेत्ता अब तक नदियों के किनारे खोद कर कर बता चुके होते। खैर, करवा चौथ पर पति से और रक्षाबंधन पर भाई से साड़ी प्राप्त करना हर महिला के मौलिक अधिकार जैसा है। साल के बारह महीनों में दो साड़ी तो पक्की समझिये,इस बीच ससुराल या मायके में कोई शुभ प्रसंग आ जाए तो यह आंकड़ा दो से दस हो जाए फिर भी बस कहना का सवाल ही नहीं। पहनने योग्य कपड़ों का व्यापक सर्वे किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देश में साड़ियां,पतलून-कमीज से इक्कीसी बल्कि बत्तीसी बैठेगी।

कुल जमा मसला यह कि सिर पर खड़ी करवा चौथ देख हम साड़ी खरीदने शहर गए। उन्हें साड़ी लाने तो मुझे गाड़ी च-लाने के लिए जाना ही था। यूँ तो बाजार

करवा चौथ और साड़ी को लेकर किंकर्तव्यविमूढ़ सिरीमती

में साड़ियां ही साड़ियां थी मगर हमें तो बॉम्बे बाजार स्थित ‘पहली पसंद’ साड़ी शोरूम पर जाना था क्योंकि उसका नाम चलता है। एक बार किसी का नाम चल जाए तो फिर काम कौन देखता है! देखा तो पाया शोरूम में पृष्ठ भाग तो दूर पैर रखने कि जगह नहीं थी,बाहर पार्किंग के हाल भी इससे जुदा न थे। सिरिमीती को शोरूम में छोड़ सोचा अभी दस बज रही है इधर बैठे-बैठे क्या करूँगा! कॉलोनी वाली मैडम फोन पर बार-बार प्लॉट देखने का आग्रह करती रहती है आज मौका है और मजबूरी भी। मैं प्लॉट देखने निकल पड़ा। मात्र हजार रूपये जमा करते ही प्लॉट बुक हो गया। फाइनंसेर भी घात लगाकर हमला करने को तैयार बैठे थे।वताने पर कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ,अतिथि नहीं फिक्समफिक्स तिथि प्रजाति का। फिर क्या था, उन्होंने अठारह लाख फाइनंसेर की प्रक्रिया अब्रूझ मुहूर्त में कर डालीं। सरकारी कर्मचारी को लोन देने से भला कौन मना करेगा! सरकारी आदमी चाँद पर घर बनाना चाहे तो लोन देने वाले मौका देखे बगैर चौका जमा दें। हां कोई गरीब कुटी चाहे तो दो जोड़ी चप्पल घिस जाए। आप सोच रहे होंगे सरकारी आदमी पर इतनी मेहरबानी किसलिए? वह इसलिए कि उसके पैसे को मर नहीं

होती,वह मर भी जाए तो भी। वे बोलें सर आज से आप यहां के जमींदार हुए। आपको किस्ती की भी चिंता नहीं,बारह लाख के प्लाट के लिए पंद्रह हजारि दस सालों की किस्त और बात खतमा। यकीन मानिये मालूम भी नहीं पड़ेगा। कर्ज किस्ती में चुकाया जाए तो मालूम नहीं पड़ता,फिर बारह के बदले अठारह चले जाए अलग बात है। इधर का काम निपटा तो उप पंजीयक के सामने उपस्थित होकर प्लॉट की रजिस्ट्री भी सम्पन्न करवा लीं। हालांकि इधर लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि सरकारी काम समय मांगता है लगे तो सेवा भी।

बहरहाल,आप थे हरि भजन को ओटन लगे कपास वाली स्थिति से बाहर निकलते ही मुझे सिरिमीती की याद आई हालांकि प्लॉट खरीदी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनकी याद आती बल्कि सताती रही। याद ही आ सकती थीं कॉल नहीं क्योंकि उनके पास मोबाइल भी तो नहीं था। अब मैंने पहली फुर्सत में पहली पसंद की राह पकड़ी। चलती बाइक पर विचारता रहा करवा चौथ पर उनके द्वारा अपने चाँद को देखने से पहले आज मेरे द्वारा अपने चांद को देखना भयंकर अनुभव रहेगा। पता नहीं बेचारी कहाँ किस हाल में ‘आ जा रे मैं तो कबसे खड़ी इस पार,ये आखियां थक गई पंथ निहार’ गुनुगुना रही

होगी।एक बार लगा शोरूम में बोर होते-होते सिरिमीती कहीं किराये से रह रही बोरगांव बुजुर्ग वाली साली साहिबा के घर पैदल ही तो नहीं पहुंच गई।मैं सीधे वहीं पहुंचा,वो वहां नहीं थीं। ऐसा तो नहीं अपने मामाजी के घर बैठी हों। या फिर मेरी मौसी के घर।नहीं..नहीं...सगी बहन के ऊपर सास की बहन को तरजीह सम्भव ही नहीं। मामाजी से फोन पर पता करने पर पता चला वो नहीं आई। इस पूछ परख में शाम होने को आई। अब मेरे मन में भावी अनिष्ट की आशंका गहराने लगी। सोचा इस तरह धुपल में लड़ु चलाने के बजाय पहली पसंद पर ही पहले जाया जाए वहीं से खुलेगा मैडम जी तो अभी इधर ही है’ उसने कहा। महिलाओं की भीड़ में मेरी नजर अपनी महिला पर गई। वो दो साड़ियां हाथ में लिए मेरी ओर लपकी बोलीं बस हो ही गया,ये बताओ इन दो में से कौन सी मुझ पर अच्छी लागेगी। अब मेरा मन प्लॉट का नमांतरण करवाने का होने लगा, मगर कार्यालयीन समय इजाजत नहीं दे रहा था।

दृष्टिकोण

संध्या अग्रवाल

लेखक साहित्यकार हैं।



विरोध प्रदर्शन जीने के अधिकार का हिस्सा है और लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस देश में विरोध-प्रदर्शन हमेशा होते रहे हैं और उनके लिए पूरा अवसर भी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक, कई बड़े बदलावों की शुरुआत किसी न किसी आंदोलन से ही हुई है। इसलिए विरोध के अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं उठाना जा सकता; वह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। दिल्ली के कर्नाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने तथा वहाँ प्रस्तावित तिरंगा मार्च के संदर्भ में छोटे व्यापारियों की आजीविका का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। 16 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने छोटे दुकानदारों, फेरीवालों और उनके परिवारों की कठिनाइयों पर चिंता जताई। अदालत ने यह भी कहा कि यदि प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों को अनुचित नुकसान पहुँचता है और कार्रवाई गैरकानूनी पाई जाती है, तो मुआवजे सहित उचित कदम उठाए जा सकते हैं। यह प्रसंग एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है—जब दो लोकतांत्रिक अधिकार आमने-सामने आ जाएँ, विरोध का अधिकार और रोज़ी-रोटी का अधिकार, तो उनके बीच संतुलन कैसे बने?

किसी राजनीतिक दल या संगठन के लिए आंदोलन अपनी माँगों को सामने रखने और जनसमर्थन जुटाने का माध्यम हो सकता है। नेताओं के भाषण होते हैं, नारे लगते हैं और समाचार माध्यमों में चर्चा होती है। लेकिन इसी दौरान सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यक्ति, छोटी दुकान के मालिक, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर किस स्थिति से गुजरते हैं, इस पर भी ध्यान देना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। उनके लिए आंदोलन के दौरान कामकाज प्रभावित होने का अर्थ उस दिन की कमाई का नुकसान हो सकता है, जिससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं।

त्योहारों के समय यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। मिठाई की दुकान, कपड़ों का छोटा प्रतिष्ठान, मिट्टी के दीपक बेचने वाला कुम्हार और फूलों की दुकान लगाने वाला विक्रेता—इन दिनों की बिक्री पर उनकी आय का बड़ा हिस्सा निर्भर कर सकता है। यदि रास्ते बंद हों, यातायात बाधित हो या बाजार तक ग्राहक न

आंदोलन का अधिकार और आम आदमी की रोज़ी

त्योहारों के समय यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। मिठाई की दुकान, कपड़ों का छोटा प्रतिष्ठान, मिट्टी के दीपक बेचने वाला कुम्हार और फूलों की दुकान लगाने वाला विक्रेता—इन दिनों की बिक्री पर उनकी आय का बड़ा हिस्सा निर्भर कर सकता है। यदि रास्ते बंद हों, यातायात बाधित हो या बाजार तक ग्राहक न पहुँच पाएँ, तो नुकसान केवल एक दिन की बिक्री तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवारों के घरेलू बजट, कर्मचारियों की मजदूरी और छोटे कारोबार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नागरिक को अपनी माँग रखने, प्रशासन से प्रश्न पूछने या सरकार के निर्णय से असहमति जताने के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता।

पहुँच पाएँ, तो नुकसान केवल एक दिन की बिक्री तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवारों के घरेलू बजट, कर्मचारियों की मजदूरी और छोटे कारोबार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी नागरिक को अपनी माँग रखने, प्रशासन से प्रश्न पूछने या सरकार के निर्णय से असहमति जताने के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता। कई बार आंदोलनों ने वास्तविक समस्याओं को सामने लाने और समाधान का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हर आंदोलन को अनावश्यक या जनविरोधी कहना उचित नहीं होगा। प्रश्न आंदोलन करने के अधिकार का नहीं, बल्कि इस बात का है कि उसे किस तरह प्रभावी, शांतिपूर्ण और दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

जब किसी प्रदर्शन से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका हो, तब उसके आयोजकों और प्रशासन को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विरोध की आवाज भी प्रभावी ढंग से उठ सके और आम नागरिकों की कठिनाइयाँ भी कम हों। जहाँ सड़क पर प्रदर्शन आवश्यक हो, वहाँ मार्ग, समय, यातायात और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पहले से तय की जा सकती है। आयोजक यदि अपने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील करें तथा



करने, यातायात चलाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों, दोनों को चोटें आती हैं। ऐसी घटनाओं में केवल एक पक्ष की पीड़ा देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी जाँचना चाहिए कि टकराव कैसे शुरू हुआ, बातचीत के क्या प्रयास किए गए, बल प्रयोग की आवश्यकता कितनी थी और क्या उसका इस्तेमाल निधारित सीमाओं के भीतर हुआ। जवाबदेही

का सिद्धांत सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

राजनीतिक आयोजनों में एक और प्रश्न उठता है—आंदोलन का उद्देश्य क्या है और उसका परिणाम क्या निकला? क्या उससे किसी समस्या का समाधान हुआ, संबंधित पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी या प्रभावित लोगों को राहत मिली? आयोजकों से उनके तरीकों और प्राप्त परिणामों के बारे में प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक जागरूकता का हिस्सा है। ऐसा करना अपने आप में आंदोलन के अधिकार का विरोध नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और प्रभाव को समझने का प्रयास है। किसी की मंशा पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचना भी उतना ही आवश्यक है।

नुकसान की भरपाई का प्रश्न भी गंभीरता से विचारणीय है। छोटे दुकानदार या दिहाड़ी मजदूर के पास इतना आर्थिक सहारा नहीं होता कि वह कई दिनों की कमाई खोने के बाद सहजता से अपना काम फिर शुरू कर सके। इसलिए जिन परिस्थितियों में कानून और न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत मुआवजे की जिम्मेदारी तय हो सकती है, वहाँ प्रभावित व्यक्ति को केवल नुकसान सहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। साथ ही, आयोजनों की अनुमति देते समय प्रशासन को व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और आम नागरिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए।

लोकतंत्र केवल अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का नाम नहीं है; यह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी है। जिस नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, उसी नागरिक को निर्बाध आवागमन, सुरक्षित वातावरण और अपनी आजीविका चलाने का अधिकार भी है। इन अधिकारों को एक-दूसरे का विरोधी बनाने के बजाय उनके बीच संतुलन स्थापित करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह शांतिपूर्ण विरोध के लिए उचित व्यवस्था बनाए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और सामान्य जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का प्रयास करे।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध केवल असहमति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है। इस अधिकार की रक्षा करते हुए सामान्य नागरिकों की आजीविका और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार, प्रशासन, आंदोलन के आयोजकों और नागरिकों के बीच संवाद तथा सहयोग से ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है, जिसमें विरोध की आवाज भी सुनी जाए और किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

अंततः आंदोलन की सफलता केवल भीड़ के आकार, नारों की गूँज या समाचारों में मिली जगह से नहीं मापी जानी चाहिए। उसका मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि उसने समस्या के समाधान में कितना योगदान दिया और आम नागरिकों को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन उस आवाज के साथ जिम्मेदारी का स्वर भी सुनाई देना चाहिए। क्योंकि किसी भी आंदोलन में जनता का हित महत्वपूर्ण है और विरोध का अधिकार तथा रोज़ी-रोटी का अधिकार, दोनों एक साथ सुरक्षित रहने चाहिए।

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



देश छोटा है; चैतरफा अन्य देशों के भूखंडों से घिरा हुआ यानि भूआवेष्टित। आबादी तकरीबन पैंसठ लाख। इतिहास के थपेड़ों के बीच मानचित्र में उभरे इस योरोपीय राष्ट्र में युवकों ने कमाल कर दिखाया। चौदह सालों से जमे-जमाये कठोर और सुदृढ़ निजाम को उखाड़ फेंकना आसान न था, लेकिन छात्रों ने अपनी एकजुटता, संघर्षशीलता और आंदोलनधर्मिता से संसदीय चुनावों में सर्वथा नयी इबारतें लिखीं। फलतः स्टूडेंट्स-लिस्ट के उम्मीदवारों के लिये संसद में प्रवेश और सरकार के गठन के द्वार खुल गये। छात्रों की चुनौती अपनी जगह थी, लेकिन राजनीतिक पंडितों को यह यकीन न था कि छात्र समूहों द्वारा चुने हुये समाज के विभिन्न तबकों-अध्यापकों, डॉक्टरों, श्रमिकों और इंजीनियरों आदि के गैर पेशेवर उम्मीदवार वर्कर्स पार्टी के पेशेवर प्रत्याशियों को धूल चटा देंगे।

मगर ऐसा हुआ और उके की चोट पर हुआ। सर्बिया में क्रांति बंदूक की नली से नहीं, वरन मतपेटियों से निकली। प्रतिरोध की जीत हुई और सत्ता की हार। यह कू-दे-ता नहीं था। निरंकुश, दमनकारी और भ्रष्ट सत्ता हारी और शांतिप्रिय, परिवर्तनकारी और अहिंसक सत्याग्रही जीती। यह भारत से हजारों मील दूर एक छोटे से योरोपीय राष्ट्र की परिघटना है। देश छोटा है, किंतु संदेश बड़ा 56 वर्षीय राष्ट्रपति अलेक्सान्द्र बुचिश के हाथों से अब सत्ता फिसल चुकी है। जनादेश ने छह फुट पांच इंच लंबे चरमोश बुचिश का कद छोट दिया है। अब वह निवर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं। तय है कि उनकी

करतूतों की जांच होगी, उन पर मुकदमा चलेगा और उन्हें और उनके सहयोगियों को सजा भी मिलेगी। जनादेश इतना स्पष्ट था कि उन्होंने सारे चुनाव परिणाम घोषित होने से पेशगी ही अपनी हार कबूल कर ली। 250 सांसदों के सदन के नतीजों के ऐलान के अधबीच में ही बुचिश ने कहा - 'जाहिर है कि हमने यह चुनाव गँवा दिया है।'

सर्बिया के साथ जातीय संघर्ष, नरसंहार और विनाश की दारुण-गाथा जुड़ी हुई है। यूगोस्लाविया के के विघटन के बाद बाल्कन क्षेत्र में विपदाओं की बाढ़ आ गयी। ऐसे में सन 2006 में सर्बिया स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में मानचित्र पर उभरा और बीस सालों के गणतांत्रिक इतिहास में चौदह साल सत्ता की बागडोर बुचिश के हाथों में रही। दरअसल, बुचिश एक महत्वाकांक्षी, धूर्त और अनुदार राजनेता हैं। उन्होंने 23 वर्ष की वय में राजनीति में कदम धरे और अति उग्रवादी सर्बियन रेडिकल पार्टी ज्वाइन की। सन्



2008 में उन्होंने तोमिस्लाव निकोलस के साथ सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की स्थापना की। सन् 2012 से 2023 तक वह इसके अध्यक्ष रहे। सर्बियन रेडिकल पार्टी के सांसद की हैसियत से कानून में स्नातक बुचिश सन 1998 में सूचना मंत्री बने तो पूत

के पांव पालने में दिख गये। वह 2000 में स्लोबोदान मिलोशेविक के पतन तक इस पद पर रहे और उन्होंने पत्रकारों पर कई दमनात्मक कानून थोपे और विदेशी टीवी चैनलों पर पाबंदी लगा दी। उनका दमन और उरपीड़न का निरंकुश रवैया मुसलसल जारी रहा। सन् 2012 में वह उपप्रधानमंत्री बने और 2014 में पीएम। सन् 2017 और फिर 2022 में वह राष्ट्रपति चुने गये। इसी साल पीएम बनने के मकसद से उन्होंने

इस्तीफा देकर चुनाव का दाँव खेला और स्टूडेंट लिस्ट के हाथों मुंह की खाई। बुचिश के पतन का कारण बनी एक नवंबर 2024 को नोवी साद रेलवे स्टेशन की दुर्घटना। कैनोपी गिरने से 16 लोगों की मौत के हदसे ने छात्रों को भड़का दिया। भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकारों के

हनन और संस्थानों के राजनीतिकरण के मुद्दों से आंदोलन को विस्तार और बल मिला। नवकुबेर मिरोस्लाव मिस्कोविच की पुत्र माकों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी, रिहाई और सरकार द्वारा हर्जाना देने के प्रसंग को अवाम ने स्वांग माना। बुचिश की घृणित मानसिकता का परिचय सेब्रेनिका कल्लेआम के बाद तब मिला, जब उन्होंने कहा - किल वन सर्व, वी विल किल हंड्रेड मुस्लिम्स।' जाहिर है कि वह इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं और उनके भीतर एक कातिल विद्यमान है। दमन-उरपीड़न के चलते उनके राजकाल में सर्बिया में भारी विदेशी निवेश, जोडीपी में वृद्धि और सफल विदेश नीति के दावों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने स्टूडेंट लिस्ट को भरपूर समर्थन दिया। यूं तो छात्रों ने नेतृत्व किसी एक हाथ में नहीं था, अलबत्ता नोवी साद में मेडीसिन के प्रोफेसर एलिजा स्वदनोविच ने उन्हें बखूबी गाइड किया। बुचिश ने आंदोलनकारी छात्रों को 'ब्लाकेडर्स की संज्ञा दी, लेकिन नागरिकों के असंतोष और रोष की वाणी बनकर उभरे। छात्रों के नारे या सर्बिया, या माफिया, ज्ञान शक्ति है और सर्बिया हमारे साथ बढ़ रहा है, काम कर गये। अवाम ने निजाम बदलने के ध्वजवाहकों का साथ दिया। नतीजा सामने है। बेलोड और सर्वत्र अपूर्व जश्न का माहौल। इतिहास से सबक नहीं लेने वाले बुचिश ध्वशायी हो गये। देखना दिलचस्प होगा कि संकटों के दौर से गु्र रहे दुनिया के देश सर्बिया के सबक से क्या सबक लेते हैं?

समीक्षा

विजय जोशी

लेखक भेल भोपाल के पूर्व समूह महाप्रबंधक हैं।



कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात् हे प्राणी तू मात्र कर्म कर फल की आकांक्षा से रहित, क्योंकि फल की चाहत कर्म की पवित्रता को भंग कर देती है। कामनारहित कर्म उसे उसे एक नई ऊँचाई प्रदान कर देता है। यह कहा था कृष्ण ने द्वारप में पर भरत ने तो इसे एक युग पूर्व त्रेता में ही सिद्ध कर दिया था। यह शाश्वत सत्य खुलकर निखरा है एन.आई.टी. के. पूर्व प्रोफेसर डॉ. श्रीकृष्ण अग्रवाल की सद्य प्रकाशित पुस्तक 'भाई भरत' में। संक्षिप्त सार की एक बागनी। त्रेता में भरत उस निर्गुण उपासना के प्रतीक हैं, जिसमें उनकी घनीभूत पीढ़ा भक्ति का अवलंबन ले उसे समाज के समक्ष रचनात्मक स्वरूप प्रदान करती है, जिसे राम ने यूँ बखान किया : भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहिं रामु न सकहिं बखानी राजनीति के संदर्भ में वे सुनीति के जीवंत स्वरूप हैं, न कि कूटनीति के। आज जहां लोग कानून की कमियाँ ढूंढकर अधर्म का सहारा लेते हैं वहीं भरत अपनी मां के अनर्थ का उत्तरदायित्व

भरत: अनासक्त कर्मयोग के आदर्श

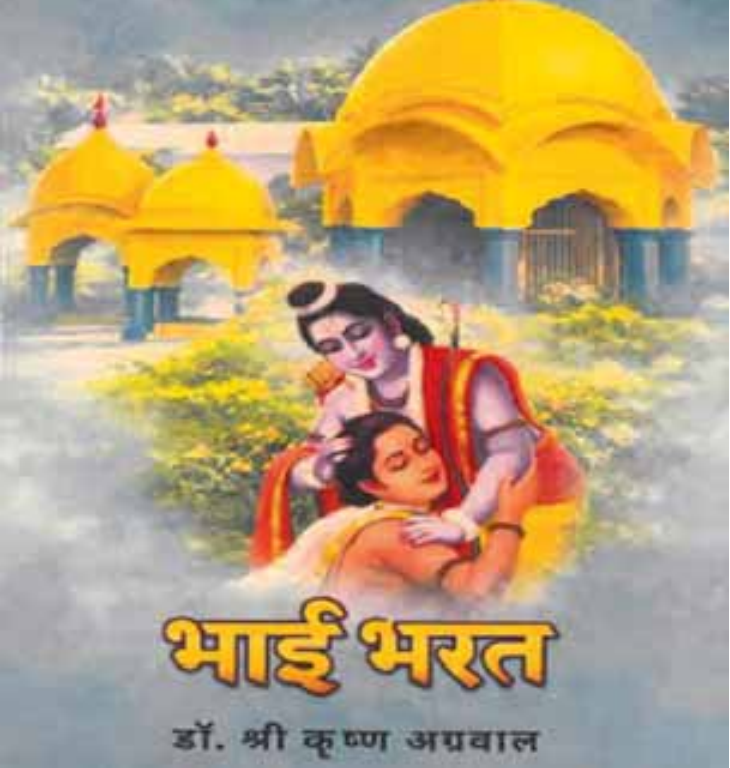
स्वयं पर वहन कर सच्चे हृदय से करते हैं पश्चाताप तथा प्रायश्चित। सर्वप्रथम उनका नामकरण संस्कार ही कालांतर में उनकी पहचान बना :

बिस्व भरन पोषन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई सोचिये तब राम भरत दोनों भ्राताओं का निर्मल निश्छल प्रेम कितना अद्भुत और अलौकिक रहा होगा :

राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे भरत तब भ्रात प्रेम में इस तरह डूबे हुए थे कि कह उठे :

मोहि राजु हटि देखहु जबहीं रसा रसातल जाइहि तबहीं राम को लौटा लाने के प्रयास में सुमंत निषादराज आदि सबके आग्रह के बावजूद राम के कष्ट की अनुभूति सहेजे उन्हें स्मरण करते हुए वे पदल ही चले :

रामु पयोदेहि पायँ सिधाए हम कहँ रथ गज बाजि बनाए अर्थात यह स्वयंसिद्ध है कि धर्म



की आत्मानुभूति के साथ ही सेवा धर्म के भी प्रतीक हैं भरत: सबतें सेवक धरमु कठोरा। राम के अयोध्या के पुनारागमन का कोई नैतिक विकल्प ही दृष्टिगत ही नहीं था यानी पिता की आज्ञा का उल्लंघन एवं अवतार उद्देश्य की विफलता। तब भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार किया और राम की चरण पादुका शिरोधार्य करते हुए राजसी वस्त्र त्याग नंदीग्राम में पर्णकुटी को स्थायी निवास बना शेष जीवन सहर्ष स्वीकार किया। इस धर्माचरण युक्त प्रसंग को लेखक ने कुछ यूँ संग्रहित किया है :

- बड़ों की आज्ञा का अनुपालन

- अपराध स्वीकारोक्ति बजाय दूसरों पर थोपने के

- ध्येय की साधना में तन्मयता

- योग्यता के बावजूद दंभ से सर्वथा परे

- अन्य की पीड़ा की स्व में

अनुभूति

- पादुका स्वीकार कर विवाद को समाधान से सुलझाया

कैकेयी प्रसंग : अगले प्रसंग में कैकेयी की अंतर्दशा की व्याख्या समाहित है, जिनका राम पर आगाध स्नेह था, किंतु अवतार उद्देश्य की पूर्णता हेतु उन्होंने अपनां की घनीभूत पीड़ा को सहकर भी सबसे दुष्कर कार्य का संपादन किया। यही कारण था कि राम चित्रकूट में सर्वप्रथम उन्हीं से मिले :

प्रथम राम भेंटी कैकेई सरल सुभायँ भगति मति भेई और इसी तर्ज पर लंका विजय पश्चात जब लौटे तो सबसे पहले कैकेयी निवास ही पहुंचे :

प्रभु जानी कैकई लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी रामकथा अद्भुत और अलौकिक है। कोई उच्च तकनीकी पायदान तक पहुंचा व्यक्ति इतनी गहराई से अनासक्त कर्मों भरत की संवेदनशीलता को कागज पर उकेर सके तो यह बात अपने आप में विलक्षण हो जाती है। यह करिश्मा किया है मेरे कॉलेज सहपाठी मित्र डॉ. अग्रवाल ने। सो वे बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन एवं मुद्रण उत्तम। मुखपृष्ठ प्रभाव युक्त।

सीईसी सदस्य श्री सुनील लिमाये ने दिए निर्देश

चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने तीनों राज्यों के अधिकारी मिलकर करें प्रभावी कार्रवाई

16 वन चौकियां स्थापित होंगी, सप्ताह में दो बार संयुक्त जांच और हर तीन माह में अंतरराज्यीय बैठक; कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से होगी निगरानी



पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करें। उन्होंने निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 16 वन चौकियां स्थापित करने, चंबल नदी क्षेत्र में कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से निगरानी करने तथा नियमित संयुक्त जांच करने पर जोर दिया। साथ ही, अवैध उत्खनन से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों का परस्पर आदान-प्रदान करने और प्रत्येक तीन माह में अंतरराज्यीय बैठक में की गई कार्रवाई, निगरानी व्यवस्था और अवैध गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ग्वालियर के मुख्य वन संरक्षक श्री लोवित भारती, कलेक्टर मुरैना श्री लोकेश कुमार जागिड़, कलेक्टर भिण्ड श्री पवन जैन, श्योपुर कलेक्टर के प्रतिनिधि, कलेक्टर धौलपुर श्री बी.टी. श्रीनिधि, भरतपुर के मुख्य वन संरक्षक श्री पी. कथिरवेल, पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मोणा,

पुलिस अधीक्षक भिण्ड श्री सूरज वर्मा, पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान, वन मंडलाधिकारी मुरैना श्री हरिशचन्द्र बघेल तथा आगरा ईस्ट के पुलिस उपायुक्त श्री अभिषेक अग्रवाल सहित मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, धौलपुर एवं आगरा के खनिज विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 16 वन चौकियां स्थापित कर अवैध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर श्री लिमाये ने निर्देश दिए कि चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी के लिए मुरैना वन मंडल द्वारा 16 वन चौकियां स्थापित की जाएं। मैदानी अमले को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर कार्रवाई प्रभावी बनाई जाए। वन विभाग को अतिरिक्त अमला उपलब्ध कराने के साथ आवश्यक हथियार भी दिए गए हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके। कैमरों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टावर से होगी निगरानी चंबल नदी क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था नियमित बनी रहे और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो।



कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ए. पी. सी. की समीक्षा बैठक आयोजित

अशोक नगर (निप्र)। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. सी. गुप्ता की अध्यक्षता में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ए. पी. सी. की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों के लिए पानी, बीज एवं खाद की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिले में कृषि कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण बीजों की व्यवस्था तथा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिये। एपीसी श्री के सी गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को कृषि कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पानी, बीज एवं खाद की उपलब्धता बनाए रखने तथा इनकी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। नरवाई में आग लगाने की

जन सुनवाई के दौरान सुनी आधा सैकड़ से अधिक आवेदकों की समस्याएं

दतिया (निप्र)। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोजित जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए आधा सैकड़ आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान सीईओ जिला जिला पंचायत श्री शैलेंद्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर करीला में समरसता सम्मेलन आयोजित

जनजाति आयोग के सदस्य श्री बरालाल अहिरवार ने की सहभागिता, सामाजिक समरसता और एकता का दिया संदेश

अशोक नगर (निप्र)। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के पावन अवसर पर अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करीला में सोमवार को समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनजाति आयोग के सदस्य श्री बरालाल अहिरवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया तथा महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन, उनके आदर्शों और समाज को दिए गए अमूल्य योगदान को स्मरण किया। श्री अहिरवार ने कहा कि आज हमारे संपूर्ण भारत वर्ष में महर्षि बाल्मीकि जयंती आयोजित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि समरसता सम्मेलन का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे, समानता और एकता की भावना को मजबूत करना रहा। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उनके आदर्श समाज को सत्य, सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु युवाओं को स्वरोजगार जोड़े



जाने के लिये जागरूक करना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुगवली विधायक श्री बुजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी महान रचना रामायण के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नैतिकता और आदर्श जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया। उनका जीवन और कृतित्व समाज को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उनकी जयंती पर आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने तथा

विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर महंत श्री नारायण दास जी, सपना नहरिया, नरेश बालू, जितेन्द्र नहरिया, प्रकाश नहरिया, रवि मोहन, सहित समाजसेवी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मातृत्व और कर्तव्यनिष्ठा की अनूठी मिसाल

पटवारी श्रीमती संध्या शर्मा का मातृत्व और शासकीय दायित्व निर्वहन में संतुलन

शिवपुरी (निप्र)। आज के दौर में महिलाएं घर और बाहर दोनों मोर्चों पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं शिवपुरी जिले के पटवारी हल्का डोंगर (क्रमांक 122) में पदस्थ श्रीमती संध्या शर्मा। वह एक तरफ जहाँ शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना पंजीयन कार्य के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मात्र दो वर्ष के अपने छोटे से बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। एक तरफ जहाँ बच्चे की देखभाल वहीं दूसरी तरफ शासकीय स्वामित्व योजना के अंतर्गत जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करना और पंजीयन जैसे तकनीकी व जिम्मेदारी भरे कार्य समय पर पूरे करने होते हैं। श्रीमती संध्या शर्मा अपने दो साल के बच्चे को साथ लेकर अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर पहुंचती हैं। उनके पति भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, जिससे पारिवारिक व्यस्तताएं और बढ़ जाती हैं, परंतु इसके बावजूद वे कार्य के प्रति गंभीर हैं। श्रीमती संध्या शर्मा अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर क्षेत्र में पहुंचती हैं तथा स्वामित्व योजना से संबंधित भूमि अभिलेख तैयार करने और पंजीयन संबंधी कार्यों का निर्वहन करती हैं। उनके पति भी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक एवं शासकीय दायित्वों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार स्वामित्व योजना के तहत जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में स्वामित्व पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में राजस्व विभाग के मैदानी स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अभिलेखों का संधारण, आवश्यक जानकारी का संकलन और पंजीयन संबंधी प्रक्रियाओं का संपादन किया जा रहा है।

ग्वालियर व्यापार मेला के लिए 2,090 दुकानें आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध

अब तक 644 आवेदन प्राप्त

ग्वालियर (निप्र)। ग्वालियर व्यापार मेला का आयोजन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण द्वारा 2,090 दुकानों को आरक्षित श्रेणी में शामिल कर आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इन दुकानों के लिए अब तक कुल 644 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दुकान आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में ऑटोमोबाइल्स, झूला, इलेक्ट्रॉनिक्स, पक्की दुकानें, कोठरी, चबूतरा, सी की दुकानें, रेलवे ट्रैक की दुकानें, डीएनएसटी, एसटी, एक्सपो और एएम की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों का आवंटन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त 644 आवेदनों के माध्यम से मेला प्राधिकरण को लगभग 80 लाख रुपये किराये के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनएसी) के लिए ऑनलाइन माध्यम से 9.35 लाख रुपये की राशि भी प्राधिकरण को प्राप्त हुई है।

कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसुनवाई में सुनीं आमजन की समस्याएं

चार जरूरतमंदों को रेडक्रॉस से 32 हजार की आर्थिक सहायता

शिवपुरी (निप्र)। जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने आज सैकड़ों आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही त्वरित निराकरण किया, वहीं शेष आवेदनों के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए चार जरूरतमंदों को रेडक्रॉस मद से कुल



32 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर चेक प्रदान किए। इसमें ग्राम देरखुर्द बछोरा (पोहरी) निवासी महिला लक्ष्मी सेन को 10 हजार रुपए, ग्राम रेहरगावां बधोरा (करैरा) के दिव्यांग युवक सुमित कुमार वंशकार को इलाज हेतु 10 हजार रुपए तथा कमलागंज शिवपुरी निवासी गंभीर बीमारी से ग्रसित जितेंद्र धानुक को इलाज में मदद के लिए 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की



एसडीएम द्वारा कृषि उपज मंडी श्योपुर का निरीक्षण

अनुपस्थित 9 कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन काटने के निर्देश

श्योपुर (निप्र)। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में एसडीएम एवं भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी श्योपुर श्री गगन सिंह मीना द्वारा श्योपुर कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी में कर्मचारियों की उपस्थिति, साफ-सफाई, किसानों के लिए छाया एवं नीलामी व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के संबंध में नियमानुसार एक दिवस का वेतन राजसात करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये कर्मचारी श्यामा शर्मा, सीमा कौशल, महेन्द्र सिंह, अमित धूलिया, दुष्यंत वर्मा, सुनील धूलिया, अनिल दौहरे का एक-एक दिन का तथा कीर्ति कस्तहार और रफीक अली का आधे-आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश मंडी सेक्रेटरी को दिये गये।

साथ ही मंडी परिसर में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। भारसाधक अधिकारी एवं एसडीएम श्री मीना ने मंडी प्रबंधक को निर्देशित किया कि मंडी में उपज विक्रय के लिए आने वाले किसानों के बैठने एवं विश्राम हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त कृषि उपज की नीलामी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को अपनी उपज के विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडी परिसर में व्यवस्थाओं को नियमित रूप से बनाए रखने तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बेटा मम्मी-मम्मी पुकारता रहा, चौथी मंजिल से कूद गई मां

मुरैना में नीचे खड़े परिजन समझाते रहे; गंभीर हालत में ग्वालियर फिर दिल्ली रेफर

मुरैना, निप्र। मुरैना के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल महिला को मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे ग्वालियर और फिर दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना नैनागढ़ रोड की सोमवार तड़के की है। वीडियो आज सामने आया है। वीडियो में महिला घर की चौथी मंजिल की बालकनी से कूदती दिखाई दे रही है। नीचे खड़े परिवार और मोहल्ले के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं रुकी। वीडियो में एक बच्चा महिला को 'मम्मी-मम्मी'



पुकारता सुनाई दे रहा है।

एक महीने पहले किराए पर आया था परिवार

सीएसपी कवीन्द्र सिंह चौहान के अनुसार मुरैना के नैनागढ़ रोड पर रहने वाला एक दंपति मूल रूप से अंबाह का निवासी है। परिवार करीब एक महीने पहले रामहेत सिकरवार के मकान में किराए पर रहने आया था। घर का सामान भी अभी ठीक से व्यवस्थित नहीं हुआ था। परिवार ने यहां दूध डेयरी की दुकान भी खोली थी।

30 मिनट तक महिला को समझाते रहे परिजन

सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे महिला मकान की छत पर पहुंच गई। डेयरी का काम होने के कारण पति और

आसपास के कुछ लोग पहले से जाग रहे थे। उस समय मॉनिंग वॉक करने वाले लोग भी निकल रहे थे। महिला को छत पर देखकर पति और बच्चे ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं भी अपनी छतों पर आ गईं। सभी ने करीब 30 मिनट तक महिला को समझाने और शांत करने की कोशिश की।

महिला नहीं मानी और अचानक छत से कूदी

करीब 30 मिनट तक समझाने के बावजूद महिला नहीं मानी और अचानक छत से छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पता लगा रही है कि महिला ने किन परिस्थितियों में जान देने की कोशिश की।

